

[REVISED PLAN]

पत्रावली संख्या - IV-1374

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, गौतमबुद्ध नगर

पत्र सं० नौएडा/मु०वा०नि०/2014/ 734

दिनांक 16/6/14.

✓ M/s Three C Green Developers Pvt. Ltd.,
C - 23, Greater Kailash Enclave, Part -1,
New Delhi.

महोदय,

आपको स्पोर्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु एस०सी०-०१, सेक्टर - ७८, एवं भूखण्ड संख्या एस०सी०-०१, सेक्टर - ७९, नौएडा सब - लीज्ड भूखण्ड एस०सी०-०१ए, एस०सी०-०१बी, एस०सी०-०१सी, एस०सी०-०१डी, एस०सी०-०१ई, सैक्टर - ७९ एवं एस०सी० - ०१ A&B, सेक्टर - १०१, नौएडा के पुनरीक्षित भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक १६.०६.२०१४ को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके आधार पर सन्दर्भित योजना के भू-विन्यास मानचित्रों की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है:-

१- भूखण्ड का विवरण -

मूल भूखण्ड संख्या एस०सी०-०१, सेक्टर - ७८, भूखण्ड संख्या एस०सी०-०१, सेक्टर - ७९, नौएडा उप विभाजित एस०सी०-०१ए, एस०सी०-०१बी, एस०सी०-०१सी, एस०सी०-०१डी, एस०सी०-०१ई, सैक्टर - ७९, एवं एस०सी० - ०१ A&B, सेक्टर - १०१, स्पोर्ट सिटी नौएडा

२- भूखण्ड का आवंटित क्षेत्रफल 7,27,500.00 वर्ग मी०

३- भूखण्ड का कब्जा प्राप्त क्षेत्रफल -

आकार, क्षेत्रफल एवं चौहट्टी, कब्जा प्लान/लीज प्लान के अनुसार।

- सब लीज भूखण्ड सं० एस०सी०-०१/ए, सैक्टर - ७९, जिसका क्षेत्रफल १,००,०००.०० वर्ग मी० है, जोकि मै० सीक्वेल बिल्डकोन प्रा० लि०
- सब लीज भूखण्ड सं० एस०सी०-०१/बी, सैक्टर - ७९, जिसका क्षेत्रफल ४८,०००.०० वर्ग मी० है, जोकि मै० सीक्वेल बिल्डिंग कन्सेप्टस प्रा० लि०
- सब लीज भूखण्ड सं० एस०सी०-०१/सी, सैक्टर - ७९, जिसका क्षेत्रफल ३,१२,२०९.३० वर्ग मी० है, जोकि मै० श्री सी ग्रीन डवलपर्स प्रा० लि०
- सब लीज भूखण्ड सं० एस०सी०-०१/डी, सैक्टर - ७९, जिसका क्षेत्रफल १,००,०००.०० वर्ग मी० है, जोकि मै० किण्डल डवलपर्स प्रा० लि०



- सब लीज भूखण्ड सं० एस०सी-०१/ई, सैक्टर - 79, जिसका क्षेत्रफल 80,000.00 वर्ग मी० है, जोकि मै० जनाडु रियलकोन प्रा० लि०
- सब लीज भूखण्ड सं० एस०सी-०१, सैक्टर - 78, जिसका क्षेत्रफल 14,272.50 वर्ग मी० है, जोकि मै० जनाडु इन्फ्राटेक प्रा० लि०
- सब लीज भूखण्ड सं० एस०सी-०१/ए, सैक्टर - 101, जिसका क्षेत्रफल 19,170.00 वर्ग मी० है, जोकि मै० श्री सी ग्रीन डवलपर्स प्रा० लि०
- सब लीज भूखण्ड सं० एस०सी-०१/बी, सैक्टर - 101, जिसका क्षेत्रफल 29,350.00 वर्ग मी० है, जोकि मै० श्री सी ग्रीन डवलपर्स प्रा० लि०

कुल क्षेत्रफल

7,03,001.80 वर्ग मीटर

4- भू-उपयोग -

नोयडा महायोजना-2031 के अनुसार रिक्रिएशनल ग्रीन में अनुमन्य उपयोग स्पोर्ट सिटी। महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स में अनुमन्य उपयोग/क्रियाओं के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित अनुमन्य आवासीय एवं व्यवसायिक उपयोग एवं उसकी सपोर्ट एक्टिविटी के अनुसार प्रस्तावित है।

निर्धारित भू-उपयोग वितरण प्रतिशत

मनोरंजन	- निर्धारित 70प्रतिशत	- 4,92,101.26 वर्गमी०
	प्रस्तावित 70प्रतिशत	- 4,92,101.26 वर्गमी०
व्यवसायिक	- निर्धारित 2प्रतिशत	- 14,060.04 वर्गमी०
	प्रस्तावित 0.4प्रतिशत	- 2,812.01 वर्गमी०
आवासीय/ग्रुप	- निर्धारित 28 प्रतिशत तक	- 1,96,840.50 वर्गमी०
हाउसिंग प्रस्तावि	28प्रतिशत+1.6प्रतिशत of commercial use transfer	
-	1,96,840.50 +11,248.03 =	2,08088.53 वर्गमी०
आवासीय/ग्रुप	- निर्धारित 28प्रतिशत	- 1,96,840.50 वर्गमी०
हाउसिंग	प्रस्तावित 29.6प्रतिशत	- 2,08088.53 वर्गमी०
	(भवन की ऊँचाई का प्रतिबन्ध नहीं है)	

अन्य प्राविधान योजना के टेण्डर फार्म एवं लीज डीड की शर्तों के अनुसार होंगे। उपरोक्तानुसार भू-उपयोग वितरण प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है।

[Handwritten signature]



5- आवासीय घनत्व एवं जनसंख्या

अनुमन्य आवासीय घनत्व	- 1650 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर
आवासीय क्षेत्रफल	- 20.8088 हेक्टेयर
अनुमन्य जनसंख्या	- 34,335 व्यक्ति
भवन विनियमावली के प्रस्तर 24.8.4 में	- 1716 व्यक्ति
अनुमन्य 5% अतिरिक्त घनत्व अनुमन्य	
कुल योग	- 36051 व्यक्ति
(4.5 व्यक्ति प्रति परिवार की दर से कुल 8011 डी0यू0 अनुमन्य)	
प्रस्तावित डी0यू0 की संख्या	- 8011 डी0यू0

6- सैट बैंक-

भूखण्ड में अग्र 16 मी0 अन्य तीनों साइड 12 मी0 का सैट बैंक आवश्यक है, जो कि प्रस्तावित किया गया है।

7- भू-आच्छादन-

उपयोग	अनुमन्य (व.मी.)	प्रस्तावित (व.मी.)
1-आवासीय(ग्रुप हाउसिंग) 28% = 1,96,840.50 1.6% = 11,248.03 योग = 2,08,088.53 वर्गमी0 (समस्त सामुदायिक सहित)	2,08,088.53	2,08,088.53
2-व्यवासायिक 0.4% X 703001.80sqm.	2812.01	2812.01
3-स्पोर्ट सिटी/मनोरंजन, सुविधा (70% X 703001.80sqm.) X 20%	98,420.25	8581.75
योग(अधिकतम अनुमन्य) 30% x 703001.80 sqm.	2,10,900.54	2,10,900.54

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



8- एफ.ए.आर.

उपयोग	अनुमन्य (व.मी.)	प्रस्तावित (व.मी.)
1-आवासीय(ग्रुप हाउसिंग) कुल एफ0ए0आर - (स्पोर्ट एफ0ए0आर + वाणिज्यक एफ0ए0आर0) (1054502.70 - (5624.01+196840.50) (समस्त सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं सहित) प्रथम चरण द्वितीय चरण (ऊँचाई का प्रतिबन्ध नहीं) योग-	8,52,038.18 + 1,87,108.24 10,39,146.45	10,39,146.45
2-व्यवासायिक (सेक्टर लेबल) 200% x 2,812.01 sqm. (अधिकतम ऊँचाई 24.0 मी0)	5624.02	5074.50
3- स्पोर्ट सिटी/मनोरंजन 40% x 492101.26 sqm. (ऊँचाई का प्रतिबन्ध नहीं)	1,96,840.50	10,281.75
अधिकतम अनुमन्य 150% x 7,03,001.80 sqm.	1054502.70	1054502.70

9- न्यूनतम वित्तीय परिव्यय -

FACILITY	MINIMUM AMOUNT TO BE SPENT (In Crore)
Golf Course (9 Hole)	40.00
Multipurpose Playfield	10.00
Tennis Centre	35.00
Swimming Centre	50.00
Pro-Shops/Food and Beverage	30.00

[Handwritten signatures]



IT Centre/Administration/Media Centre	30.00
Indoor Multipurpose Sports Hall including- - Gymnastic - Badminton - Table Tennis - Squash - Basket Ball - Volley Ball - Rock Climbing	30.00
Cricket Academy	50.00
Internal Roads & Parks	25.00
Hospital/Senior Living/Medicine Cente	60.00
Circulation Spaces, Carpeting, Utilities etc.	15.00

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव दिए गए हैं ।

SPORTS FACILITIES			
SUBSIDIARIES	PLOT NO.	FACILITIES TO BE PROVIDED IN LAND PARCEL	MIN. AMOUNT TO BE SPENT (IN CRORE)
M/S THREE C GREEN DEVELOPERS PVT.LTD.	SC-01/C1	GOLF COURSE (9 HOLE)	40.00
M/S ARENA SUPER STRUCTURE PVT.LTD.	SC-01/A2	MULTIPURPOSE PLAYFIELD	10.00
M/S THREE C GREEN DEVELOPERS PVT.LTD.	SC-01/C1	TENNIS CENTRE	35.00
M/S THREE C GREEN DEVELOPERS PVT.LTD.	SC-01/C1	SWIMMING CENTRE	50.00
M/S THREE C GREEN DEVELOPERS PVT.LTD.	SC-01/C1	PRO-SHOPS / FOOD AND BEVERAGE	30.00
M/S THREE C GREEN DEVELOPERS PVT.LTD.	SC-01/C1	IT CENTRE/ ADMINISTRATION/ MEDIA CENTRE	65.00
M/S THREE C GREEN DEVELOPERS PVT.LTD.	SC-01/C1	INDOOR MULTIPURPOSE HALL	30.00
		SPORTS HALL INCLUDING- GYMNASTIC, TABLE TENNIS, SQUASH, BASKET BALL, VOLLEYBALL	
		BADMINTON, ROCK CLIMBING	
M/S THREE C GREEN DEVELOPERS PVT.LTD.	SC-01/C1	CRICKET ACADEMY	50.00
ALL	-	INTERNAL ROADS & PARKS	25.00
M/S XANADU INFRA TECH PVT. LTD.	SC-01, .SEC-78	HOSPITAL/ SENIOR LIVING/ MEDICINE CENTRE	60.00
ALL	-	CIRCULATION SPACES, CARPETING, UTILITIES ETC.	15.00



स्वीकृति हेतु प्रतिबन्ध एवं शर्तें:-

- 1- यह स्वीकृति केवल कंसेप्ट ले-आउट प्लान की तदर्थ सैद्धान्तिक स्वीकृति मात्र है। ले-आउट प्लान की स्वीकृति का उपयोग परियोजना के आधारभूत स्वरूप की गार्ड लाईन्स के रूप में ही किया जायेगा। सभी विकास एवं निर्माण कार्यों को क्रियान्वित कराये जाने के समय अन्य तकनीकी एवं नियोजन सम्बन्धी मानकों का अनुपालन कराये जाने के सन्दर्भ में नोएडा प्राधिकरण द्वारा अन्य यथा आवश्यक परिवर्तन किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने पर उनका अनुपालन आवेदक को करना होगा।
- 2- यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी की परियोजना के भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की नियम एवं शर्तें/लीज डीड की शर्तें/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 3- यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी की यथा परिभाषित मुख्य क्रियाओं एवं उपयोग के साथ मुख्य परियोजना के स्वरूप में तथा उसके साथ अनुमन्य सीमा तक अनुसांगिक आवासीय एवं व्यवसायिक क्रियाओं एवं उपयोग के रूप में विकसित की जायेगी। मनोरंजन क्रिया हेतु आरक्षित क्षेत्र का अनुपयोगिता एफ.ए.आर. (1,87,108.24 वर्ग मी० जोकि कुल एफ०ए०आर० का 18.01% है) का उपयोग आवासीय क्षेत्र के निर्माण में तभी उपयोग किये जाने की अनुमति होगी जब खेल, संस्थागत, अन्य सुविधायें तथा खुले स्थान को पूर्ण रूप से विकसित/निर्मित कर लिया जायेगा। नोएडा महायोजना-2031 के प्रस्तर- 5.9.3 के प्राविधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के साथ इन्टीग्रेटेड मिनी टाउनशिप के रूप में सभी आधुनिक एवं विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाओं के साथ विकसित किये जाने का प्राविधान रखा जाना होगा। समस्त स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एवं परिसर, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्देशित मानकों के अनुसार विकसित करने तथा उससे अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अधिभोग में लाया जायेगा।
- 4- ले-आउट प्लान के अनुरूप उसमें दर्शाये गये सभी प्रकार के भवन निर्माण किये जाने से पूर्व प्रत्येक भवन का उसके निर्धारित उपयोग के अनुसार नोएडा भवन विनियमावली-2010(यथा संशोधित सुसंगत प्रभावी प्राविधानों सहित)के अनुसार निर्धारित शुल्क व प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों तथा विस्तृत मानचित्रों के साथ पृथक से आवेदन कर पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- 5- ले-आउट प्लान के अनुसार सम्पूर्ण परिसर एवं उसके अन्तर्गत सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में स्पोर्ट सिटी के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग तथा उसके सपोर्टिंग यूज में

[Handwritten signature]



अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।

- 6- पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर कियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी। इसमें सभी प्रकार के भवन निर्माण एवं विकास कार्य, भौतिक अवस्थापना सुविधायें, सामुदायिक एवं जन सुविधाओं आदि का तकनीकी, नियोजन, डिजाइन, स्पेशिफिकेशन्स, आगणन, वित्तीय जीवयता एवं अन्य पहलू, परियोजना कार्यों को पूर्ण करने का समयावधि चार्ट/अनुरक्षण आदि का समावेश करते हुए प्राधिकरण को परीक्षण हेतु यथा निर्देशित प्रतियों में उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी स्वीकृति उपरान्त ही विकास एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- 7- पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि एवं न्यूनतम निर्धारित वित्तीय परिव्यय के साथ परियोजना पूर्ण करनी होगी।
- 8- सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
- 9- स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैण्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड बेस्ड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी। उपरोक्त सम्बन्धित सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 10- स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।



पत्रावली संख्या - IV-1374

अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।

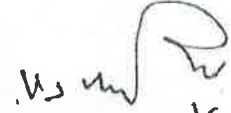
- 6- पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्तों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी। इसमें सभी प्रकार के भवन निर्माण एवं विकास कार्य, भौतिक अवस्थापना सुविधायें, सामुदायिक एवं जन सुविधाओं आदि का तकनीकी, नियोजन, डिजाइन, स्पेशिफिकेशन्स, आगणन, वित्तीय जीव्यता एवं अन्य पहलू, परियोजना कार्यों को पूर्ण करने का समयावधि चार्ट/अनुरक्षण आदि का समावेश करते हुए प्राधिकरण को परीक्षण हेतु यथा निर्देशित प्रतियों में उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी स्वीकृति उपरान्त ही विकास एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- 7- पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि एवं न्यूनतम निर्धारित वित्तीय परिव्यय के साथ परियोजना पूर्ण करनी होगी।
- 8- सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
- 9- स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैंड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड बेस्ड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी। उपरोक्त सम्बन्धित सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 10- स्पोर्ट सिटी के सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।



पत्रावली संख्या - IV-1374

- 19- सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैंड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड बेस्ड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
- 20- स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र यथावश्यक विभिन्न विभागों से एवं पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 21- प्रस्तावित भवन निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।


(वी०ए० देवपुजारी) 16/6
मुख्य वास्तुविद नियोजक

प्रतिलिपि:-

1. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वी) महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अनुक्षण अभियन्ता(जल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य परियोजना अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक(वाणिज्यिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सेक्रेटरी, स्टेट लेवल एन्वार्मेन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ०प्र०, डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेन्ट, डॉ० भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - 1, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उ०प्र० को सादर सूचनार्थ।

Map for proposed Building is per Bye
Laws. Submitted for approval please.


Asstt. Archt.


Asstt. Archt.

Architect

मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा



